केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापस दिये जाने की तारीख	नकल वापस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
22/02/18	28/02/18	28/02/18	28/02/18

नकल आदेश दिनांक 06/03/2018
न्यायालय उपजिलाधिकारी वाराणसी

वाद सं० T201602260011970
धारा - 80 राजस्व संहिता ग्रामीण व शहरी
विकास शिक्षा समिति
बनाम
उ०प्र० सरकार आदि
मौजा - सिरिस्ती. परगना - जाल्हूपुर तह० सदर - जिला वारा०

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी सदर वाराणसी।

वाद सं0– T201602260119 70 सन–2016–17 अर्न्तगत धारा: 80 अधिनियम,
मौजा–सिरिस्ती परगना जाल्हूपुर तहसील सदर जिला वाराणसी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006

ग्रामीण एवं शहरी विकास शिक्षा समिति बनाम उ0प्र0 सरकार आदि।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही ग्रामीण एवं शहरी विकास शिक्षा समिति पंजीकृत कार्यालय म.न. एस0–25/265 के0–3, वृन्दावन कालोनी, सरसौली, वाराणसी द्वारा श्रीमती राधिका यादव पत्नी श्री सरजू सिंह यादव निवासी म.न. एस0–25/265 के0–3, वृन्दावन कालोनी, सरसौली, वाराणसी के संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 12/09/16 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमे कहा गया है कि मौजा– सिरिस्ती परगना जाल्हूपुर तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी वर्ष 1422–1427 फसली की खाता सं0–153 की गाटा सं0–378/1.083हे0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय/व्यवसायिक एवं लगान मुक्त दर्ज कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग कर सके।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर वाराणसी से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक–02/01/2017 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया, कि मौजा– सिरिस्ती परगना जाल्हूपुर तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी वर्ष 1422–1427 फसली की खाता सं0– 153 की गाटा सं0–378/1.083हे0 प्रार्थी/वादी के नाम सकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नही हो रहा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्यपालन आदि कार्य हो रहा है, तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय/व्यवसायिक एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली प्रर प्रस्तुत आख्या दिनांक–02/01/2017 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधियां विद्यमान है, उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय/व्यवसायिक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

मौजा– सिरिस्ती परगना जाल्हूपुर तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी वर्ष 1422–1427 फसली की खाता सं0– 153 की गाटा सं0–378/1.083हे0 को अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

06.01.17

(अरूण कुमार शुक्ल)
सहायक कलेक्टर प्रथम
श्रेणी/उपजिलाधिकारी,
सदर, वाराणसी।

दिनांक– 06/01/2017

सत्य प्रतिलिपि

प्रर्थना पत्र की क्रम संख्या......7890...
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक....22/02/18
प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम.22/02/18
न... दिनांक......28/02/18
... दिनांक....28/02/18
.........14:00.........

तैयार कर्ता.......
मिलाप कर्ता.......